| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 2023 GCMS NO. 2023/42**<br>**उनवानी श्योबाई बनाम राजस्थान सरकार**<br>**अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट 1955** | |
| 14.05.2024 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थीया को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थीया हाजिर आये। अधिवक्ता प्रार्थीया ने जाहिर किया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थीया ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जावे। साक्ष्य में आदेश व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश हुई। प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। इसलिये अब हस्तगत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(सविता शर्मा)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी<br>जिला नीमकाथाना (राज0)<br>**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:19:07 IST
Reason: SelfAttested